संख्या-[illegible]-ई0एम0/2001-का-4-2002

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 28 अक्टूबर, 2002

विषय- उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन / अधिवेशन में भाग लेने हेतु दिनाँक 21 एवं 22 नवम्बर, 2002 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा दिनाँक 21 एवं 22 नवम्बर, 2002 को लखनऊ में सम्मेलन/अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है । उक्त सम्मेलन में महासंघ से सम्बद्ध विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जायेगा ।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने को निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को दिनाँक 21 एवं 22 नवम्बर, 2002 का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह० भुइयाँदीन ह०
विशेष सचिव

संख्या-1-ई0एम0/2001 ह0-का-4-2002, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. श्री राम लखन सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ।

आज्ञा से,

ह० भुइयाँदीन ह०
विशेष सचिव ।